नगर निगम, अलीगढ़

website:- nnaligarh.in Helpline:- 7500441344, 9105053499

सम्पत्ति कर की गणना स्वयं करें तथा भुगतान करते हुए नियमानुसार ब्याजमाफी तथा छूट का लाभ प्राप्त करें।

यदि आपको अपने सम्पत्ति कर के वर्तमान बिल से आपत्ति है तो आप निम्नानुसार अपने सम्पत्ति कर की गणना स्वयं कर सकते हैं, और भुगतान करते हुए छूट और ब्याज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं:–

(A)आवासीय सम्पत्ति का वार्षिक मूल्यः–

1. (कुल तलों का कुल कवर्ड एरिया) का 80% X न्यूनतम प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर* X 12 = (A)

देय सम्पत्ति कर प्रतिवर्ष :– गृहकर= (A) का 12.5 %

जलकर= (A) का 8.00 %

ड्रैनेजकर= (A) का 4.00 %

(A) का 24.5 %

1. यदि सम्पत्ति स्वयं निवासित है तो 10 वर्ष, 10 से 20 वर्ष व 20 वर्ष से अधिक पुरानी सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक मूल्य (A) में क्रमशः 25%, 32.5%व 40% तक की छूट के पश्चात निर्धारित वार्षिक मूल्य पर गृहकर, जलकर व ड्रैनेजकर की गणना कर सकते हैं।
2. यदि संपत्ति में किरायेदारी है तो 10 वर्ष और, 10 से 20 वर्ष तक अधिक पुरानी सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक मूल्य में क्रमशः 25%, व 12.5% की वृद्धि के पश्चात् जो वार्षिक मूल्य होगा उस पर गृहकर, जलकर व ड्रैनेजकर की गणना की जायेगी। 20 वर्ष से अधिक पुरानी सम्पत्ति के लिए वार्षिक मूल्यांकन यथावत् रहेगा।

PTO-..........2

<u>(**B**)अनावासीय सम्पत्ति का वार्षिक मूल्यः–</u>

वार्षिक मूल्य =सम्पत्ति का कुल कवर्ड एरिया X न्यूनतम प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर X सम्पत्ति के उपयोग के आधार पर गुणांक** : X 12= (B)

देय सम्पत्ति कर प्रतिवर्ष :– गृहकर= (B) का 12.5 %
जलकर= (B) का 8.00 %
ड्रैनेजकर= (B) का 4.00 %
(B) का 24.5 %

> महत्वपूर्ण– अनावासीय सम्पत्तियों के सम्पत्ति कर की गणना में निर्माण वर्ष और किरायेदारी आदि के सम्बन्ध में कोई छूट नहीं है। इस प्रकार की छूट केवल आवासीय सम्पत्ति के लिए है।

उपरोक्तानुसार आवासीय **(A)** / अनावासीय **(B)** (यथास्थिति) सम्पत्ति का सम्पत्ति कर की गणना करने के पश्चात् इसमें 6 से गुणा करके 01.04.2017 से 31.03.2022 तक पुराने बिल के आधार पर जमा की गयी धनराशि घटाकर शेष धनराशि **nnaligarh.in, Paytm** पर ऑनलाइन भुगतान*** कर सकते हैं।

"आपके सम्पत्ति कर से आपके नगर का विकास होता है।"

नोट– 1. यदि किसी सम्पत्ति का सम्पत्ति कर पुनरीक्षण दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी दरों पर पहले किया जा चुका है, तो उसे वही सम्पत्ति कर भुगतान करना होगा।
2 किसी भी अन्य जानकारी हेतु नगर निगम की अधिकृत बेबसाइट एवं पब्लिक ग्रीवान्स नंबर :– 7500441344, 9105053499 अथवा 9105053403, तथा 9105053409 पर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे के मध्य सम्पर्क कर सकते हैं।

* दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी दरें लागू होंगी। दरों की सूची नगर निगम की अधिकृत बेबसाइट **nnaligarh.in** व निगम कार्यालय में उपलब्ध है।

** गुणांक सूची नगर निगम की अधिकृत बेबसाइट पर **nnaligarh.in** पर भी उपलब्ध है और निगम के कर विभाग से भी प्राप्त कर सकते हैं।

*** यदि दिनांक 01.04.2017 से पूर्व का कोई सम्पत्ति कर बकाया है तो यह धनराशि मय ब्याज सहित देय होगी।

-:अलीगढ़ नगर निगम द्वारा जनहित में जारी**:-**